गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर
ऊधम सिंह नगर –263145 (उत्तराखण्ड)

कार्यवृत्त

236वीं बैठक
प्रबन्ध परिषद

दिनांक : 28 अप्रैल, 2019
समय : 6:00 बजे अपराह्न
स्थान : सभाकक्ष–2, प्रशासनिक भवन, पंतनगर

उपस्थिति

डा0 तेज प्रताप — अध्यक्ष
कुलपति

पदेन सदस्य

श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल (सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन/सदस्य, प्रबंध परिषद द्वारा नामित)	सदस्य
श्री गौरी शंकर कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
डा0 पी0सी0 काण्डपाल निदेशक पशुपालन,	सदस्य
	सदस्य
श्रीमती जयंती ह्यांकी नियंत्रक	सचिव

नामित सदस्य

श्री राजेश शुक्ला, माननीय विधायक	सदस्य
श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय विधायक	सदस्य
डा0 ए0एन0 मुखोपाध्याय प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
डा0 एस0एस0 बिष्ठ पशु प्रजनक	सदस्य
श्री सुधीर चड्ठा प्रतिष्ठित उद्योगपति	सदस्य
श्रीमती विनीता बिष्ट प्रतिष्ठित महिला समाज सेविका	सदस्य
डा0 ए0 पटनायक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित	सदस्य

कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा श्री राजेन्द्र पाल सिंह द्वारा प्रगतिशील किसान

के रूप तथा डा0 एन0एस0 राठौर, उपमहानिदेशक (कृषि शिक्षा) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नामित सदस्य के रूप प्रबन्ध परिषद के सदस्य के रूप में उनके द्वारा दिये गये योगदान एवं मार्गदर्शन पर आभार व्यक्त किया गया तथा प्रबन्ध परिषद की इस भावन से उनको अवगत कराने की अपेक्षा की गई। इसके अतिरिक्त कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा डा0 ए0 पटनायक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद में सदस्य नामित किये जाने पर उनको बधाई देते हुये उनका स्वागत किया गया।

सचिव, प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

संकल्प संख्या : 236.1

विषय : पद्म श्री भारत भूषण त्यागी को विश्वविद्यालय के "मानद प्रध्यापक(जैविक किसान)" {Honorary Professor(Organic Farmer)} पद से विभूषित किये जाने विषयक विद्वत परिषद की संस्तुतियों पर विचार।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा पद्म श्री भारत भूषण को विश्वविद्यालय के "मानद प्राध्यापक(जैविक किसान)" {(Honorary Proefessor (Organic Farmer)} पद से विभूषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद परिषद की संस्तुतियों का भी संज्ञान लिया गया।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की संस्तुति की दृष्टिगत पद्म श्री भारत भूषण को विश्वविद्यालय के "मानद प्राध्यापक(जैविक किसान)" {(Honorary Proefessor (Organic Farmer)} पद से विभूषि किये जाने की सहर्ष सहमति प्रदान की गई।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

संकल्प संख्या : 236.2

विषय : पद्म श्री भारत भूषण त्यागी को विश्वविद्यालय की विज्ञान वारिधि की मानद उपाधि {(Doctor of Science (Honoris causa)} से विभूषित किये जाने विषयक विद्वत परिषद की संस्तुतियों पर विचार।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा पद्म श्री भारत भूषण को विश्वविद्यालय की विज्ञान वारिधि की मानद उपधि {(Doctor of Science (Honoris causa)} से विभूषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय

के कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद परिषद की संस्तुतियों का भी संज्ञान लिया गया।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की संस्तुति की दृष्टिगत पद्म श्री भारत भूषण को विश्वविद्यालय की विज्ञान वारिधि की मानद उपधि {(Doctor of Science (Honoris causa)} से विभूषित किये जाने पर सहर्ष सहमति प्रदान की गई तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के नियम–परिनियमों के अध्याय–XV में दी गई व्यवस्था अनुसार कुलाधिपति महोदया से confirmation भी प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

संकल्प संख्या : 236.3

विषय : दीक्षान्त समारोहों हेतु नई शैक्षिक पोशाक (Academic dress) निर्धारित किये जाने संबंधी विद्वत परिषद के संकल्प पर स्वीकृति प्रदान किया जाना।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा दीक्षान्त समारोहों हेतु नई शैक्षिक पोशाक निर्धारित किये जाने संबधी कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की संस्तुतियों के दृष्टिगत प्रस्ताव में वर्णित निर्धारित की गई नई पोशाक (Academic Dress) को अंगीकृत किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई। माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि इस संबंध में विश्वविद्यालय की शैक्षिक नियमावली में यथा–स्थान आवश्यक संशोधन कर लिया जाये।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

संकल्प संख्या : 236.4

विषयः विद्यार्थियों को दिनाक 29–4–2019 को आयोजित 32वें दीक्षान्त समारोह में उपाधियां प्रदान किए जाने सम्बन्धी विद्वत परिषद् की संस्तुतियों पर विचार।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दिनांक 29.04.2019 को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्रदान किये जाने संबंधी विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमार्श किया गया।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित छात्र–छात्राओं को आगामी 32वें दीक्षान्त समारोह में उपाधि/पदक/पुरस्कार प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

संकल्प संख्या : 236.5

विषयः डा0 लक्ष्मी रावत, कनिष्ठ शोध अधिकारी, पादप विज्ञान अनुभाग, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी, टिहरी गढवाल द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत महामहिम कुलाधिपति को प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 25.1.2016 के संदर्भ में महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति,, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश सख्या 3763/जी0एस/D2-11/ शिक्षा/2018 दिनॉक 08 जनवरी, 2019 पर विचार।

उपरोक्त के संबंध में माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सहायक प्राध्यापक, प्लान्ट पैथोलोजी के 3 विज्ञापित पद (SC-1,UR-1 for Female and UR-1) तथा पदों पर नियुक्ति कार्मिक की नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों का पालन न किये जाने संबंधी प्रकरण पर भी गहनता से विचार–विमर्श किया गया तथा इस संबंध में डा0 लक्ष्मी रावत के महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति, गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर को सम्बोधित पत्र दिनांक 25.01.2016 तथा महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति,, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश संख्या 3763/जी0एस/D2-11/शिक्षा/2018 दिनॉक 08 जनवरी, 2019 तथा का भी संज्ञान लिया गया। इसके अतिरिक्त माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या 152 आफ 2019 का भी पृथक से संज्ञान लिया गया।

सर्वप्रथम माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अंकों को घटाये या बढाये जाने संबंधी तथ्य को संज्ञान में लिया गया। इस संबंध में माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा डा0 मंजू शर्मा को Participation in seminars/symposia/conference/tranining में दिये गये 0.0 अंक को बिना किसी के सत्यापन के काटकर 2.0 अंक दिये जाने वाले तथ्य का संज्ञान लिया गया। माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा पाया गया कि डा0 मंजू शर्मा द्वारा इस संबंध में 08 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है जिसमें इस प्रमाण–पत्र के 0.25 अंक के हिसाब से डा0 मंजू शर्मा को 08 प्रमाण–पत्र के 2.0 अंक मिलने चाहिये जो कि उनके अंक 0.0 को काटकर 2.0 अंक दिये गये हैं जो कि सही है। माननीय प्रबन्ध परिषद का मत था कि यद्यपि उक्त अंकों में की गई कटिंग को सत्यापित किया जाना

चाहिये था परन्तु डा0 मंजू शर्मा को Participation in seminars/symposia/conference/tranining में दिये गये 0.0 अंक के स्थान पर 2.0 अंक दिया जाना सही होने के कारण माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उक्त अंकों की कटिंग को सत्यापित न किया जाना मानवीय भूल माना गया।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा डा0 लक्ष्मी रावत Participation in seminars/symposia/conference/tranining में दिये गये 0.75 अंक को बिना किसी सत्यापन के काटकर 1.25 अंक दिये जाने तथा Memberships of Professional Societies में 1.0 अंक को बिना किसी सत्यापन के काटकर 0.0 अंक किये जाने वाले तथ्य का भी संज्ञान लिया गया है। माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा पाया गया कि डा0 लक्ष्मी रावत द्वारा Participation in seminars/symposia/conference/tranining के संबंध में 05 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है जिसमें इस प्रमाण–पत्र के 0.25 अंक के हिसाब से डा0 लक्ष्मी रावत को 05 प्रमाण–पत्र के 1.25 अंक मिलने चाहिये जो कि उनके अंक 0.75 अंक को काटकर काटकर 1.25 अंक दिये गये हैं जो कि सही है। डा0 लक्ष्मी रावत Memberships of Professional Societies में दिये गये 1.0 अंक को काटकर 0.0 अंक दिये जाने वाले तथ्य का भी संज्ञान लिया गया। माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा पाया गया कि डा0 लक्ष्मी रावत द्वारा Memberships of Professional Societies के संबंध में कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण उनको Memberships of Professional Societies में 0.0 अंक मिलने चाहिये थे। डा0 लक्ष्मी रावत Memberships of Professional Societies में दिये गये 1.0 अंक को काटकर 0.0 अंक किया जाना सही पाया गया। माननीय प्रबन्ध परिषद का मत था कि यद्यपि उक्त अंकों में की गई कटिंग को सत्यापित किया जाना चाहिये था परन्तु डा0 मंजू शर्मा को Participation in seminars/symposia/conference/tranining तथा Memberships of Professional Societies में बढ़ाये/घटायें गये अंकों सही होने के कारण माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उक्त कटिंग को सत्यापित न किया जाना मानवीय भूल माना गया।

प्रबन्ध परिषद द्वारा डा0 रश्मि तिवारी को Memberships of Professional Societies में दिये गये 0.5 अंक को बिना किसी सत्यापन के काटकर 1.0 अंक दिये जाने वाले तथ्य का भी संज्ञान लिया गया। माननीय प्रबन्ध परिषद् द्वारा पाया गया कि डा0 रश्मि तिवारी द्वारा Memberships of Professional Societies के संबंध में 02 प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये है तथा एक प्रमाण–पत्र के 0.5 अंक के हिसाब से 1.0 अंक मिलने चाहिये। माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा डा0 रश्मि तिवारी को Memberships of Professional Societies में दिये गये 0.5 अंक को काटकर 1.0 अंक किया जाना सही पाया गया। माननीय प्रबन्ध परिषद का मत था कि यद्यपि उक्त कटिंग को सत्यापित

किया जाना चाहिये था परन्तु कटिंग कर बढ़ाये गये अंक सही होने के कारण माननीय प्रबन्ध द्वारा कटिंग को सत्यापित नहीं किया जाना मानवीय भूल माना गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उक्त चयन में आरक्षण नियमों का संज्ञान लेते हुये प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। माननीय प्रबन्ध परिषद इस तथ्य का संज्ञान लिया गया कि डा0 रश्मि तिवारी जिनके द्वारा अनारक्षित(महिला) श्रेणी में आवेदन किया गया था, को अधिकतम प्राप्त 90.0 मेरिट अंक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित किया गया है। माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा कार्मिक अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या 589/कार्मिक–2/2002 दिनांक 21.06.2002 में दी गई व्यवस्था के क्रम में इस बात से सहमत हुआ कि डा0 रश्मि तिवारी यद्यपि मेरिट के आधार पर चयनित हैं परन्तु उनकी नियुक्ति/चयन अनारक्षित श्रेणी (महिला) के लिये आरक्षित रिक्त पद के प्रति की जानी चाहिये थी।

उपरोक्तानुसार कार्मिक अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या 589/कार्मिक–2/2002 दिनांक 21.06.2002 में दी गई व्यवस्था के क्रम में डा0 रश्मि तिवारी जो यद्यपि मेरिट के आधार पर चयनित हैं की नियुक्ति/चयन अनारक्षित श्रेणी (महिला) के लिये आरक्षित रिक्त पद के प्रति किये जाने के फलस्परूप डा0 मंजू शर्मा जिनके द्वारा अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया था, को अधिकतम प्राप्त 89.50 अंक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखते हुये अनारक्षित(महिला) श्रेणी के स्थान पर अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति प्रदान की जानी थी।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय प्रबन्ध परिषद इस बात से सहमत हुआ कि उपरोक्त चयन में आरक्षण नियम के पालन में आंशिक त्रुटि हुई है परन्तु इस त्रुटि से चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

अतः वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उक्त चयन में आरक्षण में हुई उपरोक्त आंशिक त्रुटि को ठीक किये जाने हेतु निम्नवत् निर्णय लिया गया :

1. डा0 रश्मि तिवारी जिनके द्वारा अनारक्षित(महिला) श्रेणी में आवेदन किया गया था, को अधिकतम प्राप्त 90.0 मेरिट अंक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित किया गया है को कार्मिक अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या 589/कार्मिक–2/2002 दिनांक 21.06.2002 पर दी गई व्यवस्था के क्रम में डा0 रश्मि तिवारी यद्यपि मेरिट के आधार पर चयनित हैं परन्तु उनकी नियुक्ति/चयन अनारक्षित श्रेणी (महिला) के लिये आरक्षित रिक्त पद के प्रति माना जाये।

2. कार्मिक अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या 589/कार्मिक–2/2002 दिनांक 21.06.2002 पर दी गई व्यवस्था के कम में डा0 रश्मि तिवारी जो मेरिट के आधार पर चयनित हैं परन्तु उनकी नियुक्ति/चयन अनारक्षित श्रेणी (महिला) के लिये आरक्षित रिक्त पद के प्रति किये जाने के फलस्परूप डा0 मंजू शर्मा जिनके द्वारा अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया था, को अधिकतम प्राप्त 89.50 अंक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखते हुये अनारक्षित(महिला) श्रेणी के स्थान पर अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति माना जाये।

3. माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक संशोधित आदेश निर्गत किये जाये तथा डा0 रश्मि तिवारी तथा डा0 मंजू शर्मा को पूर्व में निर्गत नियुक्ति पत्र उक्त सीमा तक संशोधित माना जाये।

4. माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति,, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश संख्या 3763/जी0एस/D2-11/शिक्षा/2018 दिनॉक 08 जनवरी, 2019 में उक्त चयन में इंगित त्रुटियां विश्वविद्यालय में जिस स्तर पर हुई है, उसकी जांच हेतु माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्य डा0 ए0एन0 मुखोपाध्याय तथा डा0 एस0एस0 बिष्ठ की दो सदस्यी समिति को गठन किया गया। उक्त समिति प्रश्नगत प्रकरण पर अपनी जांच रिपोर्ट माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में यथा–शीध्र प्रस्तुत करेगी।

(कार्यवाही : मुख्य कार्मिक अधिकारी)

अंत में बैठक में भाग लिये जाने हेतु माननीय सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

28/04/19

(जयंती ह्यांकी)
नियंत्रक/सचिव प्रबन्ध परिषद

(तेजप्रताप)
कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद
28/4/19